53

नि/प्र0/सिंगरौली/2017/4322

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा(म0प्र0)

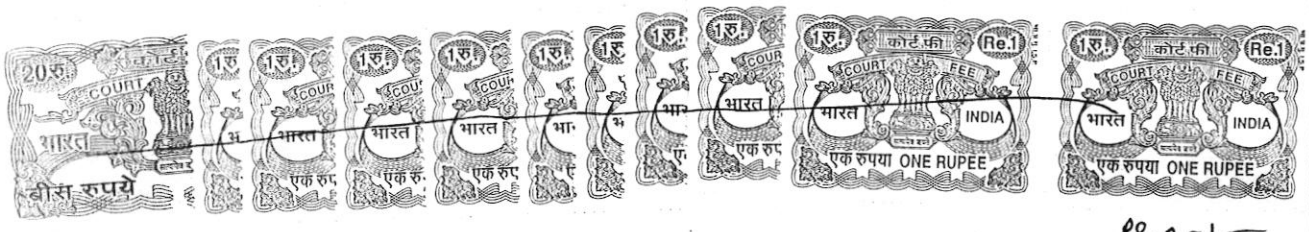

Rs 301/-

कान्ती प्रसाद नाई पिता स्व0 लालजी नाई, उम्र– 80 वर्ष, पेशा खेती व मजदूरी निवासी ग्राम तिनगी टोला, हाल निवास ताली (बैढ़न), तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. अनुविभागीय अधिकारी बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन जरिए जिलाध्यक्ष महोदय सिंगरौली (म0प्र0)

..................गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के द्वारा पारित अन्तरिम आर्डरशीट दिनांक 24.04.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

अधि0 श्री हेमंत ... 9-11-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि पुरानी आ.नं. 479, 1345 किता 2 से निर्मित नया नंबर बंदोबस्त के अनुसार 589/1755, 1589/1757, 489/1758 एवं 512 किता 4 नंबरों का निर्माण हुआ। उक्त भूमियां ग्राम चिनगी टोला, तहसील व जिला सिंगरौली में स्थित है जिसमें पुस्तैनी कब्जा लगभग 100 वर्षों से आवेदक के पिता लालजी नाई का था, उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमियों पर निगरानीकर्ता आबाद है। निगरानीकर्ता के पिता का नाम सन् 1956–57 के खसरा में भी उक्त भूमियों पर कब्जे के कालम पर इन्द्राज है तथा बीच में उनकी मृत्यु पश्चात निगरानीकर्ता का नाम भी खसरे में इन्द्राज है। वर्ष 1976–77 से लेकर 1979–80 के खसरे में भी कब्जेदार के रूप में निगरानीकर्ता का नाम इन्द्राज है जिसके द्वारा उक्त भूमियों पर कोदौ, तिली, सामा, मकाई की खेती पहले की जाती थी वो भी खसरे में लेख है।

2– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 1998–99 में उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के समक्ष ऊपर वर्णित आराजियात के संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की

9/11/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक **दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/4322**

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 3 अ 74/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–4–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा उन्होंने आवेदक के धारा 57 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे को नायव तहसीलदार खुदार की ओर जांच हेतु प्रेषित किया है। 2/ आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 के अंतर्गत मूल दावा शासन के नाम अभिलिखित भूमियों पर स्वयं् का नाम इन्द्राज करने हेतु प्रस्तुत किया है। इस दावे का श्रवणाधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम दावे की ग्राह्यता पर निर्णय लेना था, क्योंकि मध्य प्रदेश अधिनियम कमांक 42 सन 2011 व्दारा दिनांक 30–12–2011 से धारा 57 में धारा (2) इस प्रकार जोड़ी गई है :– (जहां राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां ऐसा विवाद राज्य सरकार व्दारा विनिश्चित किया जाएगा।) विचाराधीन निगरानी में सुनवाई के पर्याप्त आधार न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर सिंगरोली को व एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली को भेजी जावे। आदेश	